

ज्यासे ने उपरोक्त दिनांक से प्रतीत होता है
 कि वकील अज्ञानी/प्रतीत वरु कोष 39
 निम्न 3 वीपीसी की पाठना नहीं की है।
 अतः इस न्यायालय द्वारा अपाधीगण
 के विरुद्ध पारित एक तरफ आस्था निषेधाज्ञा
 दिनांक 8/5/2017 को निरस्त की जाती है। पत्रावली
 वाले कोष अपाधीगण की तलवी हेतु दिनांक 4/9/2017
 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर

4/12 वकील पक्षकारान हाजिर। अज्ञानी/प्रतीत अवेसर चाहा। पत्रावली वास्ते
 दिनांक 18/9/12 को पेश हो।
 अज्ञानी को 2-3 कज गज धरि लगी।
 के के के या लवन ध

18/12 वकील पक्षकारान हाजिर। अज्ञानी/प्रतीत अवेसर चाहा। पत्रावली वास्ते
 दिनांक 21/1/12 को पेश हो।
 वरु कोष के के के या लवन ध

21/1/12 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एस.डी.एम. साहब चुनाव/अन्य
 प्र. में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 11/1/12 को पेश हो।

11/12 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एस.डी.एम. साहब चुनाव/अन्य
 प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 20/2/12 को पेश हो।

10/2/18 पद पत्रावली लोक इशालत की उरेगा के आवेपे
 इस वकील अज्ञानी के हाथ अज्ञानी अदि मये के
 पुरतल मलते इपे NOT प्रेस किपा वकील अज्ञानी
 के द्वारा NOT प्रेस करे पर आ फा मेलुडा इस्त
 मंखीय किपा बाता है पत्रावली कैलते के सुमा
 होकर साक्षर सफल है

उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर

पत्रावली
 कोष 39
 18/12
 21/1/12
 11/12
 10/2/18